अत्यावश्यक/मेल द्वारा
स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./सूअप्र....../2018/ दिनांक :

समस्त प्रधानाचार्य
जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र,
समस्त प्रधानाचार्य,
एएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, (राज0)

विषय : सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।
(श्री गिरीश शर्मा, निवासी कोटा)
संदर्भ : निदेशालय के पत्र कमांक : प्रशि./सूअप्र/2018/1577 दिनांक 11.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आवेदक श्री गिरीश शर्मा, कोटा द्वारा चाही गई निम्नलिखित सूचना दो दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता की मेल आई.डी. **jd55training@gmail.com** पर भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये थे, जिसकी सूचना आज दिवस तक भी अपेक्षित है।

"समस्त राजकीय एएनएम/जीएनएम स्कूल/नर्सिंग कॉलेजों की सूची जिनमें बायोमेट्रिक से उपस्थिति हो रही है तथा उन राजकीय एएनएम/जीएनएम स्कूल/नर्सिंग कॉलेजों की सूची जिनमें बायोमेट्रिक उपस्थिति नही हो रही है, कारण सहित सूचना"।

इस संबंध में लेख है कि उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में सुनवाई हेतु दिनांक 19.11.2018 को नियत है तथा नियत तिथि से पूर्व ही आवेदक को उसके द्वारा चाही गई सूचना भिजवाई जानी है। जिससे आयोग द्वारा सुनवाई से पूर्व किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव से बचा जा सके।

अतः आपको पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि आप वांछित सूचना कारण सहित तत्काल मेल आई.डी. **jd55training@gmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करे।

कृपया पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

sd/-
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर

क्रमांक : प्रशि./सूअप्र....../2018/1668 दिनांक : 23.10.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) मुख्यालय को उनकी अनौ0 टि0 कमांक : एफ 542/अराज/सामान्य/ सूअप्र/2018/1363 दिनांक 16.10.2018 के कम में।
2. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को उनकी मेल आई.डी. पर भिजवावे तथा विभागीय वैबसाईट पर भी अपलोड करावे।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर